न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 44/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/63

ओमप्रकाश पुत्र श्री भोमाराम जाति नायक निवासी चक 49 आर.बी.ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः		
	अभिभाषक अपीलांट	इफ्तेकार मोहम्मद
	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट	राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 27.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14.02.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 79 आर.बी.–ए के मुरब्बा नंबर 21 की पत्थर गढी नं. 214/280 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था तथा पत्थर संख्या 213/280 में किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में खाला स्वीकृत था। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने पत्थर संख्या 214/280(21) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में पक्का खाला निर्माण का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर के उक्त आदेश दिनांक 14.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सिंचाई विभाग की रिपोर्ट जो की सही तथ्यों पर नहीं थी पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिए अपीलांट के पत्थर संख्या 214/280(21) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत होते हुए भी इन्ही किलों में पक्का खाला निर्माण का आदेश पारित कर दिया, जो कि विधि एवं तथ्य दोनों के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट के खेत मे मार्ग तो पूर्व से स्वीकृत है ही अब अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में अपीलांट की भूमि के उन्ही किलों में से पक्का खाला निर्माण किये जाने की कोशिश सिंचाई विभाग कर रहा है। यदि खाला व मार्ग दोनों अपीलांट के एक ही मुरब्बे में उन्ही किलों में से निकाले जाते है तो अपीलांट की भूमि नष्ट होगी तथा यह कार्य विधि विरूद्ध भी होगा। अपीलांट के 214/280(21)

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है इसलिए मुरब्बा नंबर 21 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में पक्का खाला स्वीकृत नही किया जावे और चल रहे रास्ते में वाधा उत्पन्न नही की जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 14.02.2020 को अपीलांट की हद तक निरस्त फरमाया जावें।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संवंध में हल्का पटवारी भादवावाला ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पत्थर संख्या 214/280(21) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में कच्चा खाला व गै.मु. रास्ता चल रहे हैं। अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर ने भी मौका की जांच करवाकर खाला पक्का वनाने की कार्यवाही करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पूर्ण नियमानुसार कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगागनर ने किसी भी प्रकार का अनियमित एवं अवैधानिक कार्य नहीं किया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.03.2019 तथा अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर के पत्र दिनांक 06.08.2018 एवं सभी नियमानुसार प्रक्रिया पालन करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगागनर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2020 में नियमानुसार पारित किया है, जो न्यायोचित हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगागनर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2020 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर